



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072024-255076
CG-DL-E-02072024-255076

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2390]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 1, 2024/आषाढ 10, 1946

No. 2390]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 1, 2024/ASHADHA 10, 1946

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 जुलाई, 2024

का.आ. 2519(अ).—मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 58 की उपधारा (3) एवं धारा 110 की उपधारा (3) (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के जारी होने की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए, एक जेनरेटर स्टेटर, का एनटीईसीएल वल्लूर टीपीपी, चेन्नई, तमिलनाडु से बीएचईएल, हरिद्वार, उत्तराखंड तक सड़क मार्ग से परिवहन के लिए, जिनका अधिकतम सुरक्षित लदान भार/कुल सकल भार और आकार संलग्न अनुसूची में उल्लिखित है, अनुमोदन प्रदान करती है।

अनुसूची

- मेसर्स ओडीसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड उपरोक्त प्रचालन में, एक अधिक आयामी खेप के परिवहन के लिए, मेसर्स एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड का ट्रांसपोर्टर है।
- निम्नलिखित प्राइम मूवर्स, खेप की आवाजाही में इस्तेमाल किए जाएंगे, जैसा कि नीचे दिया गया है:-

क्रम सं	प्राइम मूवर्स की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक
1.	एनएल02के5692	वोल्वो (एचपी 520)
2.	एचआर55एल0247	वोल्वो (एचपी 520)
3.	एचआर55क्यू8498	वोल्वो (एचपी 520)
4.	एचआर55एए0974	वोल्वो (एचपी 440)

3. उपरोक्त प्रचालन के लिए निम्नलिखित स्वतंत्र रेजिस्ट्रीकृत माडुलर हाईड्रोलिक ट्रेलर्स इस्तेमाल किए जाएंगे:-

क्रम सं.	ट्रेलरों की रेजिस्ट्रीकरण संख्या	मेक	ट्रेलरों में धुरियों की संख्या	अनुमेय सकल यान भार (टन में)
1.	एचआर55एक्यू3612	टीआईआई	6	108
2.	एचआर55एक्यू1919	टीआईआई	6	108
3.	एचआर55एक्यू6233	टीआईआई	4	72
4.	एचआर55एक्यू0825	टीआईआई	4	72

4. यान और भार विन्यास:- लदी स्थिति में धुरी का सकल यान भार (जीवीडब्ल्यू) और खेप का समग्र आयाम होगा: -

क्रम सं.	खेप का नाम	खाली धुरी पंक्तियों का भार (टन में)	खेप का भार (टन में)	यान का लदान के साथ भार (टन में)	लोड प्रति एक्सल लाइन (टन में)	यान की लदान के साथ ऊँचाई (मीटर में)	खेप का समग्र आयाम (मीटर में) (लंबाई x चौड़ाई x ऊँचाई)			लंबाई और चौड़ाई में धुरों के युग्मन का विवरण
							लं (मी)	चौ (मी)	ऊँ (मी)	
1	500 मेगावाट जेनरेटर स्टेटर	53.28	290	343.28	21.45	5.12	8.83	4.10	4.12	16 धुरी पंक्तियां को सीधी रेखा में जोड़ा जाएगा। (8 टायर प्रति धुरा पंक्ति)

5. उपरोक्त छूट इन शर्तों के अधीन है कि:-

(i) उपरोक्त अधिक आयामी खेप का परिवहन, विशिष्ट मार्ग मैसर्स एनटीईसीएल वल्लूर टीपीपी, चेन्नई, तमिलनाडु से बीएचईएल, हरिद्वार, उत्तराखंड तक, इस सड़क मार्ग के जरिए होगा :-

एनटीईसीएल वल्लूर - मनुबोलू - नेल्लोर - कवली - ओंगोल - एडलापाडु - गुंटूर - विजयवाड़ा - एलुरु - नल्लाजेरला - देवरापल्ली - असवाराओपेटा - खम्मम - सूर्यपेट - नारकेटपल्ली - चित्याला - नेहरू बाहरी रिंग रोड - मेडचल - तुप्रान - रामायमपेट - कामारेडु - डिचीपल्ली - आर्मूर - इचोदा - वाडकी - हिंनघाट - नागपुर - मानसर - रुखड - सिवनी - लखनादौन - तीतरपानी - मेहर - ललितपुर - तिलक नगर - झाँसी - पुंछ - जालौन - अनंतराम - सिरसागंज - टूंडला - आगरा - मथुरा - पलवल (केएमपी एक्सप्रेसवे) - डासना - मेरठ - मुजफ्फरनगर - पुरकाज़ी - गुरुकुल नारसन - मंगलौर - बहादुराबाद - बीएचईएल हरिद्वार (2806 किलोमीटर)।

(ii) लोक निर्माण विभाग/स्थानीय प्राधिकारियों/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/एनएचआईडीसीएल द्वारा विभिन्न सड़कों और पुलों के लिए विनिर्दिष्ट भार प्रतिबंधों का अनुपालन किया जाएगा और यानों को सड़कों पर लाने से पहले, ऐसे प्राधिकारियों से अनुमति ली जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से ट्रेलरों का प्रत्येक प्रचालन राज्य/संघ शासित प्रदेश/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के संबंधित परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किया जाएगा और उस पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।

(iii) ट्रांसपोर्टर इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा निर्दिष्ट कर सकता है।

- (iv) ट्रांसपोर्टर, यानों को सड़कों पर लाने से पहले, किसी भी वस्तु जैसे होर्डिंग्स, पोल, साइनबोर्ड को हटाने के लिए, ट्रांसमिशन लाइन बंद कराना इत्यादि के लिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार के संबंधित विभागों से आवश्यक पूर्व अनुमति प्राप्त करेगा और इस तरह के प्रतिबंधों का पालन करेगा जैसा कि राज्य / केंद्र शासित प्रदेश सरकार / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल इस संबंध में आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करता है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकार द्वारा अनुमत, किसी भी वस्तु को हटाने और पुनर्विकास कराने की लागत मेसर्स ओडीसी लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वहन की जाएगी।
- (v) ट्रांसपोर्टर बड़े आकार के कार्गो को देखते हुए, ऐसे यानों की प्रत्येक आवाजाही के संबंध में राज्य सरकार/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकरण या अधिकारी को कम से कम दस दिन पहले सूचना देगा। ऐसे प्रत्येक गमनागमन के लिए संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय निर्धारित किया जाना चाहिए।
- (vi) यदि ऐसा किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल के लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्देशित किया जाता है, तो लोडेड यानों को उस राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में सड़कों पर पुलों के ऊपर या नीचे से गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी और ऐसे मामलों में आवेदकों को नदियों/नालों को पार करने के लिए अपनी व्यवस्था स्वयं करनी होगी।
- (vii) ट्रांसपोर्टर राज्य / केंद्र शासित प्रदेश / भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण/ एनएचआईडीसीएल या किसी अन्य प्रभावित व्यक्ति को ऐसी राशि का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जहां सड़कों या सड़क संरचनाओं / पुलों / अन्य सड़क उपयोगकर्ताओं / व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई नुकसान ट्रेलरों की आवाजाही के कारण होता है।
- (viii) सड़क की लंबाई के साथ ट्रेलरों के युग्मन की अनुमति केवल उपरोक्त आवाजाही के लिए होगी।
- (ix) उक्त यानों का परिवहन, यातायात के सामान्य प्रवाह में बिना किसी बाधा के होना चाहिए।
- (x) यान पर खतरे संबंधी सभी झंडियां और बत्तियां लगी होनी चाहिए, बेहतर यह होगा कि लदे यानों के आगे तथा पीछे एक-एक यान स्पष्ट रूप से यह दर्शाता हुआ चले कि भारी लदा हुआ यान गुजर रहा है।
- (xi) सड़क पर चलने के लिए ट्रेलरों की अधिकतम गति 5 कि.मी./घंटा से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- (xii) ट्रेलरों की संपूर्ण चैड्राई में अगले एवं पिछले हिस्से पर पीले एवं काले रंग से जेबरा पट्टी बनाई जाएगी और उस पर रात्रि के समय चलाने/ पार्किंग के लिए आगे और पीछे समुचित रूप से लाल बत्ती होनी चाहिए तथा दिन में दोनों ओर लाल झण्डी लगाई जाएगी, जिससे यान की सही-सही स्थिति का स्पष्ट रूप से पता चल सके।
- (xiii) ट्रांसपोर्टर यह सुनिश्चित करेगा कि उपरोक्त आवाजाही के दौरान उपयोग किए जाने वाले सभी यानों के संबंध में रोड टैक्स का भुगतान किया गया है, फिटनेस प्रमाण पत्र, बीमा कवर (तृतीय पक्ष बीमा सहित), राष्ट्रीय परमिट और पीयूसी प्राप्त किया गया है।
- (xiv) ट्रेलरों और प्राइम मूवर्स के रेजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा क्योंकि वे पहले से ही हरियाणा और नागालैंड राज्य में रेजिस्ट्रीकृत हैं।
- (xv) किसी यान (यानों) या अन्य रेजिस्ट्रीकृत स्वामियों से प्राप्त यान (यानों) के भाग से उत्पन्न होने वाले मुद्दे की स्थिति में, ट्रांसपोर्टर स्वयं जिम्मेदार होगा।
- (xvi) खेप के परिवहन के दौरान उत्पन्न होने वाली किसी भी प्रकृति का कोई भी मुद्दा, ट्रांसपोर्टर की जिम्मेदारी होगी।

[फा. सं. आरटी-11042/01/2024-एमवीएल]

महमूद अहमद, अपर सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st July, 2024

S.O. 2519(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 58 and sub-Section 3(a) of Section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988, the Central Government hereby accords approval for period of twelve months from the date of issue of this notification for transportation of one Generator Stator from NTECL Vallur TPP, Chennai, Tamil Nadu to BHEL, Haridwar, Uttarakhand by road with maximum safe laden weight/Gross Vehicles Weight and dimensions, as mentioned in the schedule appended hereto.

SCHEDULE

1. M/s ODC Logistics Private Limited is the transporter of M/s NTPC Tamilnadu Energy Company Limited transportation of one over dimensional consignment for the aforesaid movement.

2. Following Prime Movers will be utilized in the movement of the subject consignment as detailed below:-

Sl. No.	Registration No. of Prime Movers	Make
1.	NL02K5692	Volvo (HP 520)
2.	HR55L0247	Volvo (HP 520)
3.	HR55Q8498	Volvo (HP 520)
4.	HR55AA0974	Volvo (HP 440)

3. The following independently registered modular hydraulic Trailers will be utilized in the above movements:-

S. No.	Registration No. of Trailers	Make	No. of Axles in Trailers	Permissible Gross Vehicle Weight (in Tons)
1.	HR55AQ3612	TII	6	108
2.	HR55AQ1919	TII	6	108
3.	HR55AQ6233	TII	4	72
4.	HR55AQ0825	TII	4	72

4. Vehicle and Load Configuration:- Gross Vehicle Weight (GVW) of the axles in laden condition and overall dimension of consignment will be:-

S. No.	Consignment Name	Unladen Weight axles in Tons (MT)	Weight of Consignment (MT)	Laden Weight of the Vehicle (MT)	Load Per Axle line (MT)	Laden Height of Vehicle (in meters)	Overall dimension of consignment (in meters)			Description of Coupling of axles in length and width
							L (m)	W (m)	H (m)	
1	500 MW Generator Stator	53.28	290	343.28	21.45	5.12	8.83	4.10	4.12	16 axle rows will be coupled in straight line. (8 tyres per axle row)

5. The above relaxation is subject to the conditions that:-

- The specific route for transportation of the over dimensional consignment will be from M/s NTECL Vallur TPP, Chennai, Tamil Nadu to BHEL, Haridwar, Uttarakhand by Road through:-
NTECL Vallur - Manubolu - Nellore - Kavali - Ongole - Edlapadu - Guntur - Vijaywada - Eluru - Nallajerla - Devarapalli - Aswaraopeta - Khammam - Suryapet - Narketpalle - Chityala - Nehru Outer Ring Road - Medchal - Tupran - Ramayampet - Kamareddy - Dichipalli - Armur - Ichoda - Wadki - Hinganghat - Nagpur - Mansar - Rukhad - Seoni - Lakhanadon - Titarpani - Mehar - Lalitpur - Tilak Nagar - Jhansi - Poonch - Jalaun - Anantram - Sirsaganj - Tundla - Agra - Mathura - Palwal(KMP Expressway) - Dasna - Meerut - Muzaffarnagar - Purquazi - Gurukul Narsan - Manglaur - Bahadarabad - BHEL Haridwar (2806 Kms).
- Load restrictions on various roads and bridges stipulated by the Public Works Department/Local Authorities/National Highway Authority of India/NHDICL will be observed and permission of such authorities will be obtained before the vehicles are put on the roads. Movement of the trailers will be approved and closely monitored by the concerned road authorities in State/Union Territory/National Highway Authority of India from safety point of view.
- The transporter will observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHDICL may by order specify in this behalf.
- The transporter will obtain necessary prior permissions from the concerned departments of the State/Union Territory Government for the removal of any objects like hoardings, poles, signboards, transmission line shutdown etc. and observe such restrictions as the State/Union Territory Government/National Highway Authority of India/NHDICL may by order specify in this behalf, before the vehicles are put on road. Cost of removal and redevelopment of any object permitted by the State/Union Territory Government shall be borne by the M/s ODC Logistics Private Limited.
- The transporter will give intimation at least ten days in advance and would need to obtain permission before commencement of transit, from concerned authority of State or Union Territory Authorities/National

- Highway Authority of India/NHDICL en-route, in view of the oversized cargo. For each such movement, the timing should be prescribed by the concerned authority.
- vi. If so directed by the Public works Department of a State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHDICL, the loaded vehicles will not be allowed to pass over or under the bridges on the roads in that State/Union Territory and in such cases applicants will have to make their own arrangements to cross the rivers/drains.
 - vii. The transporter would be liable to pay such amount to the Government of State/Union Territory/National Highway Authority of India/NHDICL or any other affected person where any damage is caused to the roads or road structures/bridges/other road users/persons directly or indirectly due to the movement of the trailers.
 - viii. Coupling of the trailers along the length of the road will be permissible only for above movements.
 - ix. The said vehicles should be moved without any hindrance to the normal flow of traffic.
 - x. The vehicles should display all danger flags and lights, the vehicles should be preceded and followed by a vehicle displaying prominently that a heavy load is passing.
 - xi. The maximum speed of the trailers for movement on the road shall not exceed 5 km/hr.
 - xii. The trailers shall be painted for the entire width by yellow and black zebra stripes on the front and rear sides duly marked for night time driving/parking suitably by red lamps at the front and rear and red flags on both the sides during day time to indicate the extreme position of the vehicle clearly.
 - xiii. The transporter will ensure that road taxes have been paid, fitness certificate, insurance cover(including Third Party Insurance), National Permit, and PUC have been obtained in respect of all the vehicles to be utilized during the above movement.
 - xiv. No change will be made in the Registration Certificates of the Trailers and Prime Movers as they are already registered in the state of Haryana and Nagaland.
 - xv. In case of issues arising of any vehicle(s) or part of vehicle(s) out sourced from other registered owners, the transporter shall bear responsibility for the same.
 - xvi. Any issue of any nature arising during the transportation of subject consignment shall be the responsibility of the transporter.

[F. No. RT-11042/01/2024-MVL]

MAHMOOD AHMED, Addly Secy.